**फाइल नं0-71-1001(099)/3/2021**

**126/2022/।/243242/2022**

**प्रेषक,**

**एस0 पी0 सिंह,**
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

**सेवा में,**

**महानिदेशक,**
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

**चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1** **लखनऊ : दिनॉक 02 दिसम्बर, 2022**

**विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदया,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित लागत रू0 2269.81 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा प्रथम किश्त के रूप में रू0 518.99 लाख की धनराशि शासनादेश संख्या-48/2021/548/71-1-2021-जी-108/2018, दिनांक 17.03.2021 द्वारा अवमुक्त की गई है।

2- इस सम्बन्ध में आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2022-23/197, दिनॉक 29.06.2022 के क्रम में राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा में टाइप-3 के 40 नग (एस+6) तथा टाइप-4 के 16 नग (एस+4) बहुमंजिला फैकल्टी आवासों के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी लेखा पक्ष में लेखाशीर्षक 4210-03-105-38- मेडिकल कालेज, आगरा हेतु 24- वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि रू0 1500.00 लाख के सापेक्ष रू0 300.00 लाख (रू0 तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष् स्वीकृति प्रदान करते है:-

**नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों**

1. वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय) 1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 07.06.2022 में उल्लिखित दिशानिर्देशों - का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्ही कार्योमदों में किया जायेगा/ , जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है , किन्ही अन्य कार्योधनराशि का व्यय अथवा व्ययावर मदों पर/ंतन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4. कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक कार्यदायी संस्था की /प्रधानाचार्य/ होगी।
5. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खातेडाकघर में नही रखा जायेगा।/

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति को (डुप्लीकेसी) रोकने की दृष्टि से महानिदेशकप्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा/ कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजनाकार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत/ है और न वर्तमान में किसी अन्य योजनाकार्यक्रम में / आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
7. विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दोदो माह की आवश्यकता के- अनुसार ही किया जाये। कार्यदायी संस्थ को पूर्व में दी गई धनराशि के 75 प्रतिशत का उपयोग करने के उपरान्त अगले दो माह के लिए पुनक आवश्य : धनराशि कोषागार से आहरित करके दी जाये।
8. शासनादेश संख्या-48/2021/548/71-1-2021-जी-108/2018, दिनांक 17.03.2021 की शेष शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,00,00,000 ( रुपये तीन करोड़ मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आयव्ययक मे-ं अनुदान संख्या 031 लेखा शीर्षक 4210031053800 मेडिकल कालेज आगरा मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक -07 जून, 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

**भवदीय,**

**( एस0 पी0 सिंह )**
अनु सचिव

**<u>संख्या:-उपरोक्त तद्यदिनांक</u>**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
5- वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा।
6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 आवास विकास परिषद, लखनऊ।
8- नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

**आज्ञा से,**

**(एस0 पी0 सिंह)**
अनु सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in